

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद मेरठ ।  
पत्रांक:- भ-98/सीएफओ-शैक्षिक भवन-18 दिनांक जुलाई 5, 2018

102  
प्रारूप:-छ

**अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire & Life Safety Certificate)**

यूआईडी संख्या:2018/46841/एमआरटी/मेरठ/977/जेडी

दिनांक 20.06.2018

प्रमाणित किया जाता है कि "तेज पब्लिक स्कूल" भूखण्ड सं० 703,704, ग्राम खिर्वा जलालपुर खिर्वा रोड जनपद मेरठ जिसमें 02 ब्लाक, ब्लाक-ए मे 03 तल तथा ब्लाक-बी मे 02 तल व बेसमेन्ट की संख्या शून्य है,जिसकी ऊँचाई 09.35 मीटर तथा प्लाट एरिया 7210.00 वर्ग मीटर है। भवन का अधिभोग डा० तेजपाल सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, नि० 53/16 डागर हाउस शिवलोक, कंकरखेडा, जनपद मेरठ द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन०बी०सी० एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण श्री संजीव कुमार सिंह अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन,मेरठ द्वारा दिनांक 02.07.2018 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री सुभाष चन्द नलवा के साथ किया गया,तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानको के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire & Life Safety Certificate) एन०बी०सी० के एजुकेशनल श्रेणी के अर्न्तगत वैधता तिथि दिनांक 03.07.2018 से 02.07.2021 तक 03 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानको का अनुपालन किया जायेगा तथा नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अर्न्तगत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी ।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मेरठ ।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को शासनादेश संख्या:1765/छ:-पु०-08-2017-905(34)/2016गृह(पुलिस)

अनुभाग-8 दिनांक 16.02.2018 के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

3. अपर जिला अधिकारी (वि०/रा०) मेरठ महोदय को पत्र सं० 469/आ० लि०-2018 दिनांक 14.06.2018 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
4. स्वामी/प्रबन्धक "तेज पब्लिक स्कूल" भूखण्ड सं० 703,704, ग्राम खिर्वा जलालपुर खिर्वा रोड,जनपद मेरठ उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ ।
5. अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन मेरठ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं अभिलेखीयकरण हेतु।